|

कार्यालय प्रबंधक (प्रशासन)
स्मारक समिति
लखनऊ।

संख्या- 815 /प्र.प्र./52/2018 दिनांक 17/12/18

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 16.09.2014 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सदस्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 27-11-2018 एवं दिनांक 14-12-2018 को स्मारक समिति के अधीन परिक्षेत्रों में फिल्मांकन, धारावाहिक कार्यक्रम, एलबम, विज्ञापन, व्यक्तिगत कार्यक्रमों की शूटिंग तथा प्री-वेडिंग शूट इत्यादि की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं दरों के अधीन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

तालिका-1 (कॉमर्शियल प्रयोजन हेतु)

क्र.सं.	स्थल का नाम	निर्धारित दरें रुपये लाख में (06 घंटे तक)	निर्धारित दरें रुपये लाख में (24 घंटे तक)
1	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से सम्बद्ध वाह्य क्षेत्र,** गोमती नगर, लखनऊ के अंतर्गत आने वाले स्थलः-		
(i)	गोमती पार्क (म्यूजिकल फाउंटेन)	1.00	2.50
(ii)	गोमती विहार खण्ड-1 (जोन-6)	1.00	2.25
(iii)	गोमती विहार खण्ड-2 (जोन-5)	1.00	1.25
(iv)	गोमती विहार खण्ड-3 (जोन-5)	1.00	1.60
(v)	12 मूर्तियों वाला क्षेत्र (भागीदारी रोड)	1.00	1.00
(vi)	समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल को जाने वाला मार्ग (गोमती रिवर फ्रंट का ऊपरी क्षेत्र)	1.00	2.00
(vii)	प्रतीक स्थल से पुलिस चौकी को जाने वाला मार्ग (मरीन ड्राइव/भागीदारी रोड का ऊपरी क्षेत्र)	1.00	2.00
2	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,** गोमती नगर, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मुख्य स्मारक स्थल, प्रतिबिम्ब स्थल, स्तूपा तथा परिवर्तन गैलरी, हाथी गैलरी दर्शनीय स्थल हैं। कुल क्षेत्रफल 107 एकड़।	1.50	4.50
3	**मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन,** वीआईपी रोड, आलमबाग, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस, एनीमल गैलरी एवं खुला हरित क्षेत्र प्रमुख हैं। कुल क्षेत्रफल 112 एकड़।	1.50	5.50

तालिका-2 (प्री-वेडिंग शूट हेतु)

क्र.सं.	स्थल का नाम	निर्धारित दरें रुपये हजार में (सम्पूर्ण दिवस)
1	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से सम्बद्ध वाह्य क्षेत्र, गोमती नगर, लखनऊ के अंतर्गत आने वाले स्थलः-**	
(i)	**गोमती पार्क (म्यूजिकल फाउंटेन)**	15,000.00
(ii)	**गोमती विहार खण्ड-1 (जोन-6)**	10,000.00
(iii)	**गोमती विहार खण्ड-2 (जोन-5)**	10,000.00

Scanned by CamScanner

(iv)	गोमती विहार खण्ड-3 (जोन-5)	10,000.00
(v)	12 मूर्तियों वाला क्षेत्र (भागीदारी रोड)	10,000.00
(vi)	समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल को जाने वाला मार्ग (गोमती रिवर फ्रंट का ऊपरी क्षेत्र)	10,000.00
(vii)	प्रतीक स्थल से पुलिस चौकी को जाने वाला मार्ग (मरीन ड्राइव/भागीदारी रोड का ऊपरी क्षेत्र)	10,000.00
2	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,** गोमती नगर, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मुख्य स्मारक स्थल, प्रतिबिम्ब स्थल, स्तूपा तथा परिवर्तन गैलरी, हाथी गैलरी दर्शनीय स्थल हैं। कुल क्षेत्रफल 107 एकड़।	15,000.00
3	**मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन,** वीआईपी रोड, आलमबाग, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस, एनीमल गैलरी एवं खुला हरित क्षेत्र प्रमुख हैं। कुल क्षेत्रफल 112 एकड़।	15,000.00

तालिका-3

<u>(अन्य परिक्षेत्रों में कॉमर्शियल प्रयोजन/प्री-वेडिंग शूट हेतु)</u>

क्र.सं.	स्थल का नाम	निर्धारित दरें रुपये लाख में (06 घंटे तक)	निर्धारित दरें रुपये लाख में (24 घंटे तक)	प्री वेडिंग शूट (संपूर्ण दिवस) (रु0 हजार में)
1	राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन, सेक्टर-95, नोएडा	1.00	2.50	15,000.00
2	बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पार्क, बादलपुर	1.00	2.00	10,000.00
3	मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल	1.00	2.50	10,000.00
4	बौद्ध विहार शान्ति उपवन	1.00	2.00	10,000.00
5	रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं अन्य विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र	1.00	2.50	10,000.00

<u>आवंटन सम्बन्धी नियम एवं शर्तें :-</u>

1. केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही मुख्यालय (प्रबंधक-प्रशासन कार्यालय) द्वारा सम्पादित की जाएगी तथा वित्तीय क्रियाकलाप (आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि की वापसी आदि) वित्त अनुभाग द्वारा निष्पादित किये जाएंगे।
2. मुख्य प्रबन्धक महोदय द्वारा आवंटन की अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित परिक्षेत्र को मुख्यालय द्वारा यथासमय सूचना प्रेषित कर दी जाएगी तथा परिक्षेत्र द्वारा आयोजक को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा।
3. यदि किसी आयोजक द्वारा आवंटन संबंधी प्रार्थना-पत्र किसी परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है, तो भी परिक्षेत्र का यह दायित्व होगा कि वह आयोजक का प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को ससमय अग्रसारित कर दें।
4. कॉमर्शियल प्रयोजन सम्बन्धी शूटिंग/आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति आयोजक द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी।
5. आयोजक द्वारा स्मारक के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
6. स्मारक के किसी भाग में कील आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा अथवा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी, जिससे स्मारक के विरुपित व क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो।

Scanned by CamScanner

7. स्मारक पर उसके सांस्कृतिक स्वरूप के अनुरूप ही फिल्मांकन/कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

8. आयोजक द्वारा शूटिंग का समय निर्धारित कर मुख्यालय (प्रबंधक-प्रशासन कार्यालय) को कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

9. शूटिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त सदस्यों/कलाकारों की सूची कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व मुख्यालय (प्रबंधक-प्रशासन कार्यालय) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। सूची में अंकित सदस्यों/कलाकारों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति/समूह को प्रवेश की अनुमति बिना प्रवेश टिकट क्रय किये नहीं दी जाएगी। भले ही वह व्यक्ति शूटिंग का हिस्सा हों।

10. शूटिंग के संबंध में पार्क परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों की सूची (वाहन संख्या एवं चालक के नाम व मोबाइल नंबर सहित) कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व मुख्यालय (प्रबंधक-प्रशासन कार्यालय) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। सूची में अंकित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. शूटिंग के दौरान परिक्षेत्र में तैनात व्यवस्थापक (जनसम्पर्क एवं टिकटिंग) की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे आयोजन के पश्चात् की स्थिति का आंकलन किया जा सके। किंतु जहाँ पर व्यवस्थापक की उपलब्धता नहीं होगी, वहाँ समिति के किसी 01 उत्तरदायी कार्मिक, जिसका ग्रेड वेतन रु0 1900 से कम नहीं होगा, उपस्थित रहेगा।

12. शूटिंग के दौरान स्थल को यदि कोई क्षति पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि आयोजक से वसूल की जाएगी।

13. शूट की गयी फिल्म/फोटो इत्यादि में वर्तमान **"सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक, स्मारक समिति"** के नाम का अनिवार्य रूप से आभार प्रकट किया जाएगा एवं इसकी साफ्ट कॉपी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।

14. उपरोक्तानुसार आवंटन हेतु आवंटी संस्था को सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी राशि अतिरिक्त देय होगी।

15. कॉमर्शियल प्रयोजन हेतु 06 घंटे के आवंटन हेतु प्रतिभूति राशि रु0 10,000/- एवं 24 घंटे के आवंटन हेतु धनराशि रु0 25,000/- देय होगी। प्री-वेडिंग शूट हेतु प्रतिभूति राशि नहीं जमा करायी जाएगी।

16. आवंटन शुल्क+जीएसटी एवं प्रतिभूति राशि का समेकित आर.टी.जी.एस/NEFT/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक स्मारक समिति के वित्त/लेखा अनुभाग (मुख्यालय) में जमा की जाएगी, जिसे सामान्य स्थिति में कार्यक्रम समापन के एक सप्ताह के भीतर आयोजक को वापस कर दिया जाएगा। इस हेतु किसी अनुमोदन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी।

17. किसी भी स्थल के आवंटन के बावजूद भी पर्यटकों का प्रवेश यथावत् जारी रहेगा।

18. यथावश्यकता सुरक्षा की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी।

19. शूटिंग के दौरान विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी। परिक्षेत्र द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं दी जाएगी।

20. पेयजल की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी।

21. प्री-वेडिंग शूट हेतु स्मारक समिति कर्मियों को निर्धारित शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत कर्मियों के प्राथमिक परिवार (बेटा, बेटी, भाई, बहन तथा स्वयं) के सदस्य आच्छादित होंगे।

/

(अभिनव सिंह)
प्रबंधक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्धक (वित्त), स्मारक समिति को अनुपालनार्थ।
4. प्रबन्धक (अनुरक्षण), स्मारक समिति।
5. समस्त प्रबन्धक, स्मारक समिति।
6. प्रभारी अधिष्ठान प्रकोष्ठ, स्मारक समिति।
7. सहायक प्रबंधक (प्रशासन), स्मारक समिति।
8. प्रभारी, स्पेशल सेल, स्मारक समिति।
9. अन्य सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

12-1217

(अभिनव सिंह)
प्रबंधक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner